



313
R. 2911-II/13

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य पुदेश ग्वालियर
निगरानी प्र.क./13
वीस रुपये
TWENTY RUPEES

गोबिन्द प्रसाद तनय श्री सूर्यबली राम ब्रा. उम् 80 साल, निवासी ग्राम हिनौता,
उप तहसील मङ्वास, तहसील मङ्वाली, जिला सीधी म०प०—आवेदक/निगरानीकरा
बनाम

दावाय गण्डन पान—इन्द्रजीत प्रसाद तनय नियंशरण राम ब्रा. सा. टटिवरा, डाल मुकाम मङ्वाली
जिला सीधी म०प०

- 2- मोल्क पिता हुलारे राम उम् 60 साल, पेशा खेती
3- मंगल पिता हुलारे राम उम् 36 साल, पेशा खेती व नौकरी
4- छोटेलाल पिता हुलदसेन राम मिश्रा उम् 48 साल, पेशा खेती
5- सन्तोष कुमार मिता हुलदसेन मिश्रा उम् 28 साल,
सभी निवासी ग्राम हिनौता, तहसील मङ्वाली, जिला सीधी म०प०,
6- म०प० शासन
7- बैजनाथ तनय श्री हुलदसेन राम उम् 58 साल,
8- गोपिया मुकी हुलदसेन राम उम् 53 साल
9- धीरा पुर्णी शंखदर उम् 48 साल
10- यशनारायण तनय हुलदसेन राम उम् 46 साल,
11- अशोक कुमार तनय हुलदसेन राम उम् 38 साल,
सभी निवासी ग्राम हिनौता, उप तहसील मङ्वास, तहसील मङ्वाली, जिला
सीधी म०प० —

—अनावेदकगण/गैरनिगरानीकरागण

निगरानी विस्तृद आक्षेप न्यायालय श्रीमान्
क्लैवर महोदय सीधी, जिला सीधी के प्रकरण
क्रमांक 504/निग./08-09, आक्षेप दिनांक

30. 3. 2013,

निगरानी अन्तति धारा 50 म०प० रु. राजस्व
संहिता 1059 द.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—आ

प्रकरण क्रमांक R2914-II/13

जिला—सीधी

गोविन्द प्रसाद ब्रा०/ इन्द्रजीत प्रसाद वैसवार

(1)	(2)	(3)
७५/०८/१७	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनूपदेव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 504/निगरानी/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 30.03.13 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>(महेश्वरन्दु चौधरी), सदस्य</i></p>	